09/09/22 आज यह पत्रावली वादी आदेश पेश
हुई। उभयपक्षीय बहस के दौरान वादी
वकील ने निवेदन किया कि तकसीम
का दावा है इसलिए जब तक बटवारा
न हो जाये तब तक T I ता. फैसला
जारी किया जावे।

विद्वान वादी अधिवक्ता की बहस
पर मनन किया गया एवं पत्रावली
का अवलोकन किया गया। प्रथम
दृष्टया विचाराधीन प्रकरण विवादित
आराजी दोनो पक्षकारान की सहखातेदारी
की भूमि है। सहखातेदारी की भूमि
में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक्म की

इन्ना भूमि पर कब्जा माना जाता है। लेकिन उच्च न्यायालयो द्वारा समय-समय पर अभिनिर्धारित किया गया है कि एक सहखातेदार संयुक्त खाते की आराजी में अपने सहखातेदार को आम्याई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करवा सकता। चूंकि प्रतिवादीगण आदि के सहखातेदार है। तथा आराजी का अभी तक विभाजन नही हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रथम द्रष्टयां प्रकरण वादी के पक्ष में साबित नही होता है। क्योंकि बात जैसा कि ऊपर विवेचित किया जा चुका है कि विवादित आराजी में वादी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नही बनता है। और प्रतिवादी आदि के सहखातेदार है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है तो निश्चित रूप से प्रतिवादीगण के ही अधिकारों का हनन होगा जिससे अपूर्णीय

हुक्म

क्षति भी प्रतिवादीगण को ही होगी। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निहित है।

सुविधा का संतुलन — चूंकि अस्थाई निषेधाज्ञा के उपरोक्त दोनों बिन्दु प्रतिवादीगण के पक्ष में निहित है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को रोका जाता है तो उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे प्रतिवादीगण को ही असुविधा कारित होने की सम्भावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निहित है।

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रा०पत्र 212 RT Act न्यायहित में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम की जावे। सेलान मुताबिक हो।

SDO